

171

47

राजस्व मंडल ग्वालिपर सर्किट कोर्ट -
न्यायालय श्रीमान् ~~विजयशंकर प्रसाद~~ रोवा जिला रोवा म0प्र0 ।
जि.नं. 252-III-15

26 -
23-1-15



1- छोटे लाल तनय दशरथ कोल उम्र 40 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम
पतिहन पुर्वा तहसील जवा जिला रोवा म0प्र0

----- आवेदक ।

बनाम

1- मथुरा प्रसाद पिता राजमणि ब्रा0 निवासी ग्राम पतिहन पुर्वा तह0
जवा जिला रोवा म0प्र0

----- अनावेदक ।

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक
मंडल अतरैला का नक्शा संशोधित आदेश

1-2-2014 भूमि ख0क्र0 199/22 के स्थान
पर 199/21 का टुटि पूर्ण संशोधन को निरस्त
किया जाकर पूर्ववत् 199/21 के स्थान पर
199/22 का सुधार किस् जाने हेतु ।

स्थित ग्राम पतिहनपुर्वा प0ह0 बरहुला र0
नि0मं0 अतरैला तहसील जवा जिला रोवाम0प्र0

-----x8x8-----
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 एवं नक्शा सुधार
शर म0प्र0भू0र0सी0हता 1959 ई0।

वीरेंद्र सिंह
जन्म आज दिनांक 23-1-15
रस्तुर किया गया।
एड के
सर्किट कोर्ट रोवा

क्रमांक 4390
निगरानी विरुद्ध आदेश
निर्देश 113 को संशोधित

राजस्व मंडल ग्वालिपर सर्किट कोर्ट
ऑफ़ के इलाहाबाद

मान्यवर,

निगरानी / टुटि पूर्ण नक्शा सुधार का सींक्षप्त विवरण निम्न है :-


क्र0 -----

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक... R-252-17/15..... जिला... सीवा.....

.....दौदे लाल कोलविरुद्धमन्वरा पुलाफ अ......

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>श्री बीरुड सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त <u>अतरेला</u> तहसील <u>नवा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>नकशा तराहीम</u> में पारित आदेश दिनांक <u>०१-०२-२०१५</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>25-3-19</u> को कलेक्टर <u>सीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  सदस्य </div>	